कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)

जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

अल्पकालिक निविदा

निविदा कमांक – **दिनांक . . . .**

राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान) जिला परियोजना कार्यालय, बिलासपुर द्वारा वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2009–10 में स्वीकृत उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को एजुकेशनल किट उपलब्ध कराया जाना है।

अतः लगभग 13000 एजुकेशनल किट (जिसमें स्कूल बैग, ज्यामिती बॉक्स, हिन्दी, अंग्रेजी व छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, कलर पेंसिल बॉक्स (12 नग), ड्राईंग कॉपी, ड्राईंग पेन (12 नग)) की आवश्यकता है। अतः एजुकेशनल किट निर्माताओं या विक्रेता निविदा दिनांक 02.03.2010 को अपरान्ह 03.00 बजे तक दिये गये शर्तो के अनुरूप जिला परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, बिलासपुर में प्रस्तुत करे। प्राप्त निविदा 02 मार्च 2010 को सायं 04.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा। निविदा संबंधी जानकारी जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल या कार्यालयीन वेबसाईट http://www.bilaspur.gov.in या www.ssabilaspur.in में देखा जा सकता है।

(जिला परियोजना संचालक महोदय द्वारा आदेशित)

जिला परियोजना समन्वयक
रा.गां.शि.मि. सर्व शिक्षा अभियान,
बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान)

जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

एजुकेशनल किट क्रय हेतु

निविदा की शर्ते :–

1. निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफों में निम्नानुसार प्रस्तुत की जायें ।

   अ) प्रथम लिफाफें में सुरक्षा निधि राशि का बैंक ड्राफ्ट राशि 65000/– व निविदा शर्त के अनुसार आवश्यक दस्तावेज आदि रखे जाकर उसे सील पैंक करने के बाद लिफाफें पर बाहर **निविदा प्रपत्र 'अ'** स्पष्ट रूप से लिखें तथा निविदाकार अपनी फर्म का नाम लिख कर सील लगाकर हस्ताक्षर करें।

   ब) द्वितीय लिफाफें में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दरों से संबंधित प्रपत्र रखा जायेगा तथा इसे सील पैंक करने के पश्चात् लिफाफें पर बाहर **निविदा प्रपत्र 'ब'** स्पष्ट रूप से लिखें तथा निविदा का अपनी फर्म का नाम लिख कर सील लगाकर हस्ताक्षर करें।

2. सर्वप्रथम निविदा प्रपत्र 'अ' से संबधित लिफाफा खोला जायेगा जिसमें निविदा शर्तो के अनुरूप सभी प्रविष्टियां व दस्तावेज शतों के अनुरूप पूर्ण पाये जाने की स्थित में ही निविदा प्रपत्र 'ब' से संबंधित लिफाफा खोला जायेगा।

3. प्रस्तुत निविदा के साथ सुरक्षा निधि राशि 65000/– (पैसठ हजार रूपये) जो कि जिला मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, बिलासपुर के नाम से क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

4. प्रस्तुत निविदा के संबध में अंतिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् असफल निविदाकार की सुरक्षा निधि राशि वापस कर दी जायेगी। किंतु सफल निविदाकार की अमानत राशि प्रदायकार्य पूर्ण होने के पश्चात् वापस की जावेगी जिसमें किसी भी प्रकार का ब्याज राशि देय नहीं होगा।

5. निविदाकार द्वारा गत वर्षो में किसी सरकारी विभाग/संस्थान/उपक्रम आदि में निर्धारित समय–सीमा के अंदर इस प्रकार की सामाग्री प्रदाय किया हो तो इस हेतु उन्हें कार्य संपादन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

6. निविदा प्रपत्र भरते समय प्रदाय की जाने वाली सामाग्री की कंपनी व स्पेशीफिकेशन का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

7. C.S.I.D.C. से पंजीकृत फर्म को शासन के नियमानुसार सुरक्षा निधि जमा करने की छूट रहेगी।

8. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा निविदादाता को आयकर एवं वाणिज्य कर भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

9. निविदा दाता द्वारा पिछलें तीन वर्षों मे से किसी एक वर्ष का इनकम टैक्स पेयी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. फर्म का वाणिज्यिक कर विभाग में जीवित पंजीयन होना चाहिए, पंजीयन की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। (स्पष्ट पंजीयन टिन नंबर सहित)

11. निविदा के साथ सामाग्रीयों का नमूना प्रस्तुत करना होगा। एक फर्म किसी एक सामाग्री का तीन से अधिक नमूने न प्रस्तुत करें। यदि ऐसा संभव नही हो तो प्रदायकर्ता अपनी सामाग्री का उचित माध्यम से प्रदर्शन भी कर सकता है।

12. निविदा बंद लिफाफे में दिनांक 02.03.2010 को दोपहर 03.00 बजे तक इस कार्यालय में निर्धारित टेंडर बाक्स में डालें। तत्पश्चात् निविदा दिनांक 02.03.2010 को दोपहर 04.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा। निविदा खोले जाते समय निविदाकार या उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

13. असफल निविदाकार प्रस्तुत नमूने की सामाग्री 5 दिवस के अंदर वापस प्राप्त कर लेवें अन्यथा गोडाउन किराया भुगतान करने के पश्चात् नमूने की सामाग्री उठाने दी जावेगी।

14. निविदा के साथ प्रस्तुत नमूने की सामाग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर के आधार पर सामाग्री क्रय की जावेगी।

15. निविदा के साथ प्रस्तुत नमूने की सामाग्री पर ही समिति विचार करेगीं।

16. कम या अधिक सामाग्री क्रय करने का अधिकार समिति को रहेगा।

17. स्वीकृत नमूने के अनुसार सामाग्री नहीं पाये जाने पर भुगतान पर रोक लगा दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत भुगतान होगा।

18. नमूने के अनुसार सामाग्री प्रदान न किये जाने पर अथवा अंतर पाये जाने पर चयनित द्वितीय फर्म को सामाग्री प्रदाय करने का आदेश जारी किया जावेगा एवं संबंधित फर्म को काली सूची में सम्मिलित कर दिया जावेगा।

19. सशर्त निविदा व अस्पष्ट रूप से भरी हुई कटिंग युक्त निविदा विचरणीय नहीं होगा।

20. निविदाकार को निविदा शर्तों के अनुसार सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा विचरणीय नही होगी।

21. निविदाकार को निविदा प्रपत्र व प्रस्तुत किये जा रहे सभी दस्तावेज पर सील सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

22. विवाद की स्थिति में क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा। (जिला परियोजना संचालक, रा.गां.शि.मि. बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा)

23. किसी अपरिहार्य कारणों से निविदा की शर्तो में परिवर्तन अथवा निरस्त भी किया जा सकता है।

24. निविदा बंद लिफाफे मे निर्धारित तिथि एवं समयानुसार जिला परियोजना कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स सीधे या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करे। कोरियर या साधारण डाक से प्रेषित निविदा व विलम्ब से प्राप्त निविदा अमान्य होगा।

25. आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर निर्धारित सामाग्री आपके द्वारा निविदा में उल्लेखित राशि के अनुरूप जिला परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

जिला परियोजना समन्वयक
रा.गां.शि.मि. सर्व शिक्षा अभियान,
बिलासपुर (छ.ग.)